

धारा 163 : फीस का उदग्रहण

जहां किसी आदेश या दस्तावेज की प्रति उस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए गए आवेदन पर किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जानी है, वहां विहित की जाने वाली फीस संदत्त की जाएगी।
